सलीम बनाम सैयद हुसैन
2025/38
निर्णय दिनांकः–28.11.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2025/38 दर्ज तिथिः– 17.06.2025

1. सलीम पुत्र मो. सदीक जाति तेली वार्ड नं. 13 नई ईदगाह के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)

.................प्रार्थी

बनाम

1. सैयद हुसैन पुत्र मो. सदीक जाति तेली वार्ड नं. 13 नई ईदगाह के पास चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

.... अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री सिकन्दर खान
अप्रार्थीगणः– श्री प्रितम सिंह

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 28.11.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 2598/2486/0.7588 हैक्ट. वाके कस्बा चूरू पटवार हल्का चूरू तहसील चूरू में स्थित है। प्रार्थी की स्वयं की एकल खातेदारी एवं कब्जा काश्त की है प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2071 व 2074 शामिल प्रार्थना–पत्र है।
2. प्रार्थी की एकल खातेदारी भूमि है जो कि प्रार्थी के ही कब्जा, काश्त, खातेदारी निर्बाद्ध रूप से चली आ रही है।
3. प्रार्थी सलीम ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत सीमा ज्ञान दिया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट कर प्रार्थी द्वारा सीमा ज्ञान शुल्क जमा करवा दिया गया जिस पर तहसीलदार कार्यालय द्वारा रिपोर्ट कर हल्का पटवारी ने दिनांक 01.05.2025 के आदेश के संदर्भ में उक्त कृषि भूमि का सीमा ज्ञान करवाया और अपनी रिपोर्ट में यह [illegible] चलाकर सीमाज्ञान करवाया गया। उक्त खसरे में सीमा ज्ञान के दौरान मुताबिक [illegible] के मौके पर रकबा कम है जिसके बाबत उक्त प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा [illegible] के लिए यह प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जिसके साथ उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:50 IST
Reason: SelfAttested

4. उक्त कृषि भूमि की सींव क्षतिग्रस्त है जहां प्रार्थी की कृषि भूमि स्थित है जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा सींव को क्षतिग्रस्त, क्षीण व जर्जर हालत में कर दिया गया है जिसमें उक्त सींव स्पष्ट नहीं होने के कारण दोनों पक्षों के बीच सींव को लेकर प्रतिदिन झगड़ा फसाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए उक्त विविध प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जो कि सीमा का सीमज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाई जाये जिससे प्रार्थी का अप्रार्थीगण के बीच सीमा संबंधी विवाद समाप्त हो सके।

5. प्रार्थी की ऊपर पैरा संख्या 4 में वर्णित सींव को काटकर छिन्न भिन्न अस्पष्ट जर्जर हालत करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थी के लिए यह जरूरी हो गया कि पुख्ता सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी उक्त कृषि भूमि की करवाई जाये। इसलिए यह विविध प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

6. प्रार्थी एक सभ्य एवं भोला–भाला कृषक है मगर मौके पर प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण के बीच सींव की कृषि भूमि की सीमा नष्ट व जर्जर व क्षीण हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिए प्रार्थी के लिए सीमा ज्ञान आवश्यक हो गया है कि खसरा संख्या 2598/2486 तादादी 0.7588 हैक्ट. कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढी) लगाने जिसके लिए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है।

7. प्रार्थी को जरूरी हो गया है कि वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहता है जिससे आगे भविष्य में आस–पड़ौसी से कोई भूमि सीमा ज्ञान संबंधित विवाद ना रहे।

8. प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि रहन नहीं होने के कारण उक्त भूमि बैंक शाखा प्रबन्धक को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

9. सभी प्रक्रिया तहसीलदार के माध्यम से होनी है जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्रार्थीगण संख्या 02 बनाया गया है।

10. प्रार्थी पत्थरगढ़ी व सीमा ज्ञान के लिए निर्धारित फीस ब खर्चा वहन करने के लिए तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जावेगी।

11. विवादित कृषि भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना–पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना–पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

12. अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं खसरा संख्या 2598/2486 तादादी 0.7588 हैक्ट. कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) का सीमा ज्ञान करवाया जाकर सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाई जावे एवं प्रार्थी उचित शुल्क देने हेतु तैयार है।

13. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 वकालतन हाजिर न्यायालय हुए। प्रतिवादी जवाब हेतु को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब नहीं दिये जाने से जवाब प्रार्थना–पत्र बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार, चूरू भूमिधारी है।

14. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक सीमा ज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

15. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता [illegible] सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां [illegible]। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision** [illegible] –(1) In case of any dispute concer[illegible] [illegible]ds Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:50 IST
Reason: SelfAttested

survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.

(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

16. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

128. Boundary disputes. *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*

Provided that *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

17. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071–2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी खसरा संख्या 2598 / 2486 / 0.7588 हैक्ट. वाके कस्बा चूरू पटवार हल्का चूरू तहसील चूरू में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार चूरू द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके कस्बा चूरू के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि सीमा ज्ञान के दौरान उक्त खसरे की भूमि कम पाई गई। जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। खसरा संख्या 2598 / 2486 / 0.7588 हैक्ट. वाके कस्बा चूरू पटवार हल्का चूरू तहसील चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहती है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की [illegible] सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया [illegible]त प्रतीत होता है। अतः

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:50 IST
Reason: SelfAttested

सलीम बनाम सैयद हुसैन
2025/38
निर्णय दिनांकः–28.11.2025

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 2598/2486/0.7588 हैक्ट. वाके कस्बा चूरू पटवार हल्का चूरू तहसील चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 28.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार– I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:50 IST
Reason: SelfAttested